न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 229/2018

अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1. रतनाराम पुत्र मालाराम फौत के कायम मुकाम 1/1 चीमाराम पुत्र रतनाराम 1/2 चेलाराम पुत्र रतनाराम 1/3 पदमाराम पुत्र रतनाराम 1/4 गोकलाराम पुत्र रतनाराम जातियान जाट निवासी बेरड़ी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।		1. अम्बादान पुत्र ईश्वरदान जाति चारण निवासी बेरड़ी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 2. तहसीलदार सेड़वा।

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता

प्रार्थीगण अधिवक्ता –श्री जगदीश पोटलिया

–: निर्णय :–

दिनांक:– 09/02/2026

प्रार्थीगण रतनाराम पुत्र मालाराम के कायम मुकाम चीमाराम पुत्र रतनाराम जाति जाट निवासी बेरड़ी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर वगैरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि "प्रार्थी व विप्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त का खेत मौजा बेरड़ी तहसील सेड़व जिला बाड़मेर में खसरा नम्बर 636/394 रकबा 75–00 बीघा, खसरा नम्बर 635/394 रकबा 16–07 बीघा का आया हुआ है। उक्त खसरा का मूल खसरा नम्बर 394 था, जो प्रार्थी व विप्रार्थी दोनों को आवंटित हुआ था। प्रार्थी को 75 बीघा व विप्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा सत्यमेव जयते

16–07 बीघा आवंटन हुई थी। उक्त खेत मूल खसरे से जब आवंटन हुई, तब प्रार्थी व विप्रार्थी दोनों की आवंटित भूमि की तरमीम कर प्रार्थी व विप्रार्थी की मौके पर भूमि अलग कर दी गई। जब राजस्व कर्मचारियों द्वारा तरमीम करते समय प्रार्थी की 75 बीघा भूमि की जगह 50 बीघा की तरमीम कर दी व विप्रार्थी के मौके पर 16–07 बीघा की जगह 41–07 बीघा की तरमीम कर दी गई, जो कि गलत की गई है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई गलत तरमीम को दुरुस्त करवाने का अधिकारी है, जिस हेतु यह तरमीम दुरुस्ती का आवेदन पेश है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के मौजा बेरड़ी के खेत खसरा नम्बर 636/394 रकबा 75–00 बीघा, राजस्व कर्मचारियों द्वारा तरमीम करते समय प्रार्थी की 75 बीघा भूमि की जगह 50 बीघा की तरमीम कर दी व विप्रार्थी के मौके पर 16–07 बीघा की जगह 41–07 बीघा की तरमीम कर दी गई, जो कि गलत की गई है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई गलत तरमीम को दुरुस्त करवाने का आदेश फरमावें। शपथ पत्र संलग्न है।''

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किए। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांक रीडर/2024/1331 दिनांक 27.08.2024 द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2026/27 दिनांक 18.02.2026 द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन **''मौके पर ग्राम वेरड़ी पटवार मण्डल हाथला के खसरा संख्या 635/394 रकबा 2–6466 हैक्टेयर भूमि खातेदार अम्बादान पुत्र ईश्वरदान जाति चारण सा. सुहागी के नाम दर्ज है व खसरा नम्बर 636/394 रकबा 12–1406 हैक्टेयर भूमि खातेदार [illegible] चेलाराम पुराराम पीराराम पि. चिमनाराम गवरीदेवी पत्नी चिमनाराम 1/4 हिस्सा [illegible] चेलाराम पदमाराम पि. रतनाराम 3/4 हिस्सा कौम जाट सा. देह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उपर्युक्त दोनों**

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा
सत्यमेव जयते
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

खसरों की भूमि आवंटनशुदा है। तत्समय आवंटन का नामान्तरकरण व तरमीम करते समय नक्शे व खसरा रकबा में अधिशेष व कमी है, जो निम्नानुसार है–

क्र.सं.	खसरा नंबर	खतौनी में रकबा (हैक्टे. में)	भू–नक्शा में रकबा (हैक्टे. में)	अधिशेष/कमी रकबा (हैक्टे. में)
1.	635/394	2–6466	4–90	+2.2534
2.	636/394	12–1406	9–8872	–2.2534

संलग्न नक्शे में परिशिष्ट 'अ' में अंकित तरमीम को वर्तमान तरमीम के रूप में दर्शाया गया है तथा परिशिष्ट 'ब' में तरमीम को रकबा (खतौनी) अनुसार प्रस्तावित तरमीम दुरुस्ती का अंकन किया गया है। परिशिष्ट 'ब' अनुसार प्रस्तावित तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है। मौका फर्द मौके पर बनाई जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान अंकित करवाए गए।''

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त होने के बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, मौका रिपोर्ट तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस की। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 229/2018 उनवान रतनाराम के कायम मुकाम चीमाराम वगैरा बनाम अम्बादान वगैरा अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा [illegible] जांच प्रतिवेदन अनुसार मौजा वेरडी पटवार क्षेत्र हाथला, भू.अ.नि. क्षेत्र [illegible] 635/394 रकबा 2–6466

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

राजस्व आवेदन संख्या 229/2018
उनवान रतनाराम के कायम मुकाम चीमाराम वगैरा बनाम अम्बादान वगैरा

हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा संख्या 636/394 रकबा 12–1406 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि की तरमीम तहसीलदार सेड़वा द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 05.02.2026 के संलग्न दर्शित परिशिष्ट ''ब'' अनुसार प्रस्तावित तरमीम दुरुस्त किया जाना उचित है। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों तथा तहसीलदार सेड़वा के तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन पर युक्तियुक्त विचारण के उपरांत जांच प्रतिवेदन में दर्शित नक्शे परिशिष्ट 'ब' अनुसार **राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू.अ./2026/27 दिनांक 18.02.2026 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 05.02.2026, खसरा नक्शा, परिशिष्ट 'ब' व जमाबंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय आज दिनांक 09/03/2026 को खुले इजलास में सुनाया गया।

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:54 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा, जिला– बाडमेर

प्रमाणित

क्रमांक / भू.अ. / 2026 / 27 दिनांक:– 18/02/2026

प्रेषित – श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेडवा (जिला– बाडमेर)

विषय – राजस्व वाद संख्या 229 / 2018 अनवान रतनाराम बनाम अम्बादान वगैरह अन्तर्गत RLR धारा 131,136 में तरमीम दुरस्ती रिपोर्ट भेजने बाबत।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आप द्वारा राजस्व वाद संख्या 229 / 2018 अनवान रतनाराम बनाम अम्बादान वगैरह अन्तर्गत में मौजा बेरडी के खसरा 635 / 394 रकबा 2.6466 हैक्टेयर व 636 / 394 रकबा 12.1406 हैक्टेयर के अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR ACT में तरमीम दुरस्ती हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट आप द्वारा चाही थी। जिसकी भू.अ. निरीक्षक अरटी द्वारा दिनांक 05.02.2026 को मौका जांचकर वादी प्रतिवादी व पड़ोसियों मौतबरानों सहखातेदारों के रूबरू जांच रिपोर्ट तैयार पेश गई । जो इस पत्र के सलंग्न आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जा रही है।

सलंगन:– उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:54 IST
Reason: SelfAttested

अर्जेन्ट

मौका फर्द

आज दिनांक 05/02/2026 को श्रीमान तहसीलदार महोदय सेड़वा के आदेश क्रमांक/भू.अ./2899-2900 दिनांक 11/09/2024 तथा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के राजस्व आवेदन सं० 229/2018 मनवान रतनाराम बनाम अम्बादान अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act में मौजा बेरड़ी के खसरा नं० 636/394 रकबा 12.1406 हैक्ट०, 635/394 रकबा 2.6466 हैक्ट भूमि की तरमीम दुरूस्ती की रिपोर्ट तैयार करने हेतु हल्का पटवारी डाबला के साथ मौके पर आये।

ग्राम बेरड़ी प०ह० डाबला के खसरा सं. 635/394 रकबा 2.6466 हैक्ट भूमि खातेदार अम्बादान पुत्र ईश्वरदान जाति चारण सा० सुहागी के नाम दर्ज है व खसरा सं. 636/394 रकबा 12.1406 हैक्टर भूमि खातेदार कलाराम गोकलराम देदाराम पुरखाराम पीराराम पि० चिमनाराम गवरीदेवी पत्नी चिमनाराम 1/4 हि० गोकलराम चेलाराम पदमाराम पि० रतनाराम 3/4 हि० कौम जाट सा० देह के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है।

उपरोक्त दोनों खसरो की भूमि आंवटनशुदा है तत्समय आंवटन का नामान्तरण व तरमीम करते समय नक्शे व खसरा रकबा में अधिशेष व कमी ~~रह~~ गई जो निम्न प्रकार है।

क्र.	खसरा सं०	खतौनी में रकबा (हैक्ट.)	मौका नक्शा में रकबा (है०)	अधिशेष/कमी हैक्टेयर में
1.	635/394	2.6466 है०	4.90 हैक्ट	+ 2.2534 है०
2.	636/394	12.1406 हैक्ट.	9.8872 है०	− 2.2534 है०

संलग्न नक्शे में परिशिष्ट 'अ' में अंकित तरमीम को वर्तमान तरमीम के रूप में दर्शाया गया है तथा परिशिष्ट 'ब' में तरमीम को रकबा (खतौनी) अनुसार प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती का अंकन किया गया है।

परिशिष्ट 'ब' अनुसार प्रस्तावित तरमीम दुरूस्ती किया जाना उचित है।

मौका फर्द मौके पर बनाई जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर/अ.नि० अंकित करवाये गये।

05/02/26

वसाराम
भू अभिलेख निरीक्षक
वृत्त अरटी तह. सेड़वा

प० डाबला

C.S.

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

गोकलराम

चेलाराम

पदमाराम

जोगाराम

देदाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:54 IST
Reason: SelfAttested

परिशिष्ट 'अ' वर्तमान तरमीम

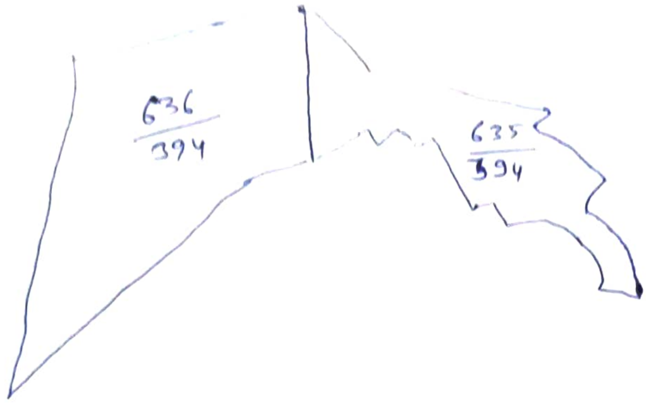

पुष्टि कार्ड

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

परिशिष्ट 'ब' प्रस्तावित तरमीम दुरुस्ती (रकबा अनुसार)

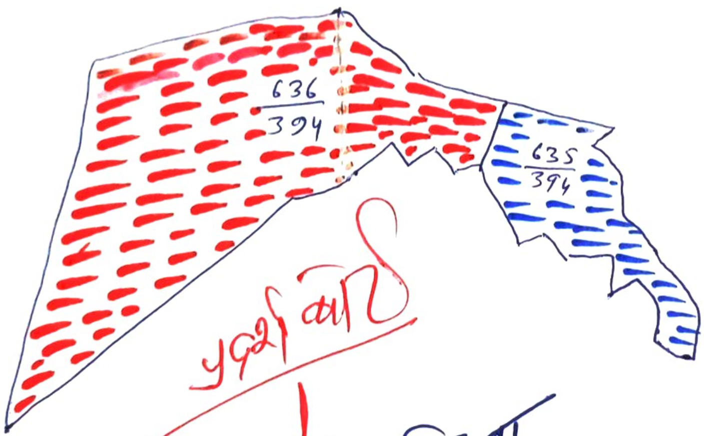

प्रार्थीगण रतनाराम वगैरह की भूमि रकबा 12.1406 हेक्टर

विपार्थी अम्बादान की भूमि रकबा 2.6466 हेक्टर

05/02/26

बसाराम

भू अभिलेख निरीक्षक

वृत्त...अरटी...तह. सेड़वा

C.S.

तहसीलदार (भु.अ.) सेड़वा

चेलाराम

पदमाराम

जोगाराम

देदाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:39:54 IST
Reason: SelfAttested